(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी-602-दो/12 विरुद्ध आदेश दिनांक 13.01.2012 पारित द्वारा आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल प्रकरण क्रमांक 602/अपील/2008-09

दुर्गा सिंह आ0 टीकाराम उम्र 45 वर्ष जाति गोंड
पेशा ग्राम कोटवार निवासी ग्राम छपरी थाना एवं
तहसील डिण्डोरी जिला डिण्डोरी (म.प्र.) .....**आवेदक**

विरुद्ध

रनियाबाई बेवा बजारीलाल उम्र 70 वर्ष गोंड
निवासी ग्राम छपरी थाना एवं तहसील डिण्डोरी
जिला डिण्डोरी (म.प्र.) .....**अनावेदिका**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया
अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय हैं।

आदेश
(आज दिनांक...13/3/18.....को पारित)

यह निगरानी आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण क्रमांक 602/अपील/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2012 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम छपरीमाल राजस्व मण्डल अमरपुर जिला डिण्डोरी में बजारीसिंह वल्द बिरझु गोंड, कोटवार के पद पर कार्य कर रहा था, शारीरिक रूप से अक्षम होने पर तहसीलदार डिण्डोरी के मसक्ष उसने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया और यह प्रार्थना की कि उसकी पत्नी रनियाबाई को उसके स्थान पर कोटवार नियुक्त किया जाए, क्योंकि वह उसके

साथ रहती है तथा कोटवारी कार्य की उसे जानकारी है। तहसीलदार डिण्डोरी ने आदेश दिनांक 04.03.1993 द्वारा रनियाबाई को कोटवार ग्राम छपरीमाल नियुक्त किया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरुद्ध आवेदक द्वारा वर्ष 1993 में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो स्वीकार की जाकर प्रकरण विधिवत सुनवाई के लिए तहसीलदार डिण्डोरी को प्रत्यावर्तित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 13.07.1993 को पुन: अनावेदिका को कोटवार नियुक्त करते हुए आदेश पारित किया, जिसके विरुद्ध पुन: आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 08.11.1993 द्वारा स्वीकार की जाकर पुन: प्रकरण तहसीलदार डिण्डोरी को प्रत्यावर्तित किया गया। तहसीलदार डिण्डोरी ने 27.09.1997 को आदेश पारित कर आवेदक को कोटवार नियुक्त किया, जिसके विरुद्ध अनावेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो उनके आदेश दिनांक 31.01.1998 द्वारा निरस्त की गई। जिसके विरुद्ध आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो उनके आदेश दिनांक 13.01.2012 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय को निर्देशित किया कि अनावेदिका को ग्राम छपरीमाल का कोटवार नियुक्त किया जाए। आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि अनावेदिका कोटवार पद हेतु पूर्णत: अक्षम व अपात्र होकर वर्तमान में अधिकतम आयु सीमा से अधिक लगभग 70 वर्ष की आयु की वृद्ध महिला है और वह स्व0 बजारी सिंह की वैध पत्नि नहीं है तथा बजारी सिंह की यह अधिकारिता नहीं रही है कि वह अपनी इच्छा से किसी अन्य को पद का हस्तांतरण कर सके या नियुक्ति करा सके। कोटवार पद की नियुक्ति में म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में प्रावधान है कि पूर्व कोटवार के परिवार को प्रथम प्राथमिकता है जिसमें आवेदक ही वैध पात्रता रखता है जिसे वैध माना जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को कोटवार पद में नियुक्ति की गई है, जिसके विरुद्ध अनावेदिका ने माननीय अपर आयुक्त जबलपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन आदेश के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया था, जो माननीय अपर आयुक्त जबलपुर संभाग द्वारा दिनांक 11.10.2006 को स्थगन आदेश दिनांक 04.03.1998 को निरस्त कर दिया गया।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा-230 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि ग्राम कोटवार के रिक्त पद में पूर्व कोटवार के उत्तराधिकारियों को अग्र मान्यता के आधार पर प्रथम प्राथमिकता है जिसमें पूर्व कोटवार को बजारी की प्रथम व वैध पत्नि झनकीबाई को प्रथम प्राथमिकता मिलती है, जिससे उसकी उत्पन्न संतान पुत्र टीकाराम की संतान अर्थात बजारी के नाती आवेदक का विधिक अधिकार होता है, क्योकि विधिक आवेदक बजारी के प्रथम पत्नी के पुत्र टीकाराम का पुत्र अर्थात बजारी का नाती है, इस प्रकार विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.09.1993 का सूक्ष्म विश्लेषण कर प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनावेदिका की अपील सारहीन होने के से निरस्त कर दी गई जो द्वितीय अपील में चुनौतीपूर्ण न होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं होने के बाद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नाधीन आदेश अपास्त किए जाने योग्य है।

4. अनावेदक पूर्व से एकपक्षीय हैं।

5. यह प्रकरण कोटवारी नियुक्ति का है । अभिलेख को देखने से यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में आयुक्त ने जो आदेश पारित किया है वह प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उचित एवं न्यायिक है । आयुक्त द्वारा इस आधार पर कि पुत्र की तुलना में पत्नी की स्थिति पति के सर्वाधिक निकट होने से बेहतर होती है कोटवारी नियम 3 के उपनियम 2 के तहत आवेदक की तुलना में अनावेदिका को अधिमान्यता देने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। न्यायदृष्टांत 1992 आर0एन0 152 के आधार पर भी अनावेदिका को वरीयता देने में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है। अत: प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय का जो आदेश है उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर